(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 231-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-1-2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ वृत्त भोपाल , प्रकरण क्रमांक 11/अ-3/15-16

1-अजीज खान पुत्र स्व0श्री गफूर खान
2-अनवर खान पुत्र स्व0श्री गफूर खान
3-प्यारे मियॉ पुत्र स्व0श्री गफूर खान
4-वशीर मियॉ पुत्र स्व0श्री गफूर खान
निवासीगण भेसा खेडी शहर व जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-संजय पुत्र स्व0श्री राधेश्याम शिवबक्श
2-जितेन्द्र पुत्र स्व0श्री राधेश्याम शिवबक्श
3-दिनेश पुत्र स्व0श्री राधेश्याम शिवबक्श
4-श्रीमती उमा नेवर पुत्री स्व0श्री राधेश्याम शिवबक्श माहेश्वरी पत्नी गोपालकृष्ण नेवर,
निवासीगण जहॉगीरबाद भोपाल (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-1-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भैसाखेडी की भूमि खसरा क्रमांक 7/1 रकबा 1.619 हैक्टेयर का खसरा एवं अक्श में बटांक किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जो तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19-1-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आपत्ति अमान्य की गई । तहसील न्यायालय के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटान कायम करवाने का आवेदन पत्र के संबंध में विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर विचार नहीं कर निरस्त करने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि उपरोक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में भी वाद प्रचलित है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का 35 वर्षो से कब्जा है एवं आवेदकगण कास्त करते चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में कब्जे की वास्तविक स्थिति पर विचार कर आगामी कार्यवाही की जाना चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति अमान्य करने में भूल की है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि मूल नक्शे में बंटाकन कायम करने हेतु संहिता की धारा 70 में प्रावधान किया गया है ऐसी स्थिति में मूल नक्शे में बंटाकन कार्य करने का अधिकारी कलेक्टर को है किन्तु इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है जो अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अंत में यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियॉ कब्जेधारी से राज्य शासन द्वारा राजस्व प्राप्त करने हेतु दी जाती है इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण विवादित भूमि का भूमिस्वामी है ऐसी स्थिति में नक्शा बंटाकन की कार्यवाही अनावेदकगण द्वारा किया जाना वैधानिक नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी को बंटान कराने का अधिकार है। आपत्तिकर्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होना बताया है, परन्तु व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है ।

अत: आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्य करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-1-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर